# कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 2062 FP/UK/ROAD/42092/2019 :देहरादून:दिनांक: 5 फरवरी, 2021.

सेवा में,

सचिव प्रभारी,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

**विषयः– जनपद–अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्याही देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 0.125 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

**(On line Proposal No FP/UK/ROAD/42092/2019)**

**संदर्भः–वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1230/X-3-15/1(139) दिनांक 14.09.2020.**

महोदय,

कृपया वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 3789/12–1(2) दिनांक 14–01–2021 **(संलग्नक–1)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित है :–

1. शर्त सख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 720 वृक्षों के रोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 9,95,320.00 (रू0 नौ लाख पिचानब्बे हजार तीन सौ बीस) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 82,125.00 (रू0 बयासी हजार एक सौ पच्चीस) मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रदत्त एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी का बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 720 वृक्षों के रोपण एवं एन0पी0वी0 की कुल रू0 10,40,445.00 (दस लाख चालीस हजार चार सौ पैंतालीस रूपये) मात्र की धनराशि को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online) ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त सख्या–5 उक्त शर्त संख्या–4 के अनुसार।
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों के पालन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**
7. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में पूर्व में ही संलग्न है, जिनकी प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–5)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के विधिवत स्वीकृति/औपचारिक शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें।

**संलग्न–यथोपरि।**

भवदीय,

5/2/21

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

**संख्या / FP/UK/ROAD/42092/2019 तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।